# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

**अपील संख्या 12/182/2022**

**कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/532**

**अपीलार्थी** — बनाम — **प्रत्यर्थी**

सुश्री बीना कंवर पुत्री स्व. श्री चंवरसिंह,
ग्राम व पोस्ट–बडेर, तह. मालाखेडा (अलवर)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

**प्रवेश तिथि :: 09.12.2022**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 16.01.2023**

1. अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर आवेदन–पत्र दिनांकः 02.11.22 प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आर.टी.आई. अनुभाग के आवक–जावक रजिस्टर, वर्ष 2022 में प्राप्त, निस्तारत आवेदन, डी.वी.सी. प्रकरण व जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम रजिस्टर की प्रति आदि विविध 05 बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना/दस्तावेजी प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से सूचना आवेदन के बिन्दु सं.01 लगायत 04 के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए प्रति जरिये पत्र सं. 3071–72 दिनांकः 21.12.22 इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 02.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है, शेष बिन्दु सं. 05 (जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम रजिस्टर की प्रति) के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
8. अर्थात् सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 05 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
9. उक्त आलोक में **अपील आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित** की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि **सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 05 के परिप्रेक्ष्य में** अपने नियंत्रणाधीन अनुभाग से पूर्ण सूचना/जानकारी प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 16.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
**अपीलीय अधिकारी एवं**
**जिला कलक्टर, अलवर (राज.)**